फर्द अहकाम

सुबिया बनाम नारायण सिंह वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 33/2023

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.1.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद रजिस्टर्ड तामिल कोई उपस्थित नहीं उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.06.203 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर मनन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, प्राथी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग का निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा भू.अभि. नि. चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है खाता संख्या 104 आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विशिष्ट भू भाग का बेचान ना करें तथा एक दुसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्नन्न ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो मूल वाद के हमफिता रहे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:31 IST
Reason: SelfAttested